भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2945
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण
2945. श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार देश में मजदूरी, उर्वरक, ऊर्जा, सिंचाई और ऋण की बढ़ती इनपुट लागत को ध्यान में रख रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और किसानों द्वारा वहन की जाने वाली खेती की वास्तविक व्यापक लागत के बीच बढ़ते अंतर की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित सी2+50 प्रतिशत फार्मूले से कम निर्धारित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या ऐसा विचलन लाभकारी मूल्य निर्धारण और किसानों के लिए आय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत परिकल्पित उद्देश्य को कमजोर करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार देश भर में खेती की वास्तविक आर्थिक लागत के साथ एमएसपी को अधिक सटीक रूप से संगत बनाने के लिए कोई उपाय करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ङ): प्रत्येक वर्ष, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात,संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी भूमि, जल और उत्पादन के अन्य संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों, फसलों के बीच मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों, तथा शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

सीएसीपी उत्पादन लागत के अंतर्गत सभी लागतों को व्यापक रूप से शामिल करता है, जिनमें भुगतान की गई सभी लागतें शामिल हैं, जैसे कि किराए पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम/मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि हेतु किराया, बीज, उर्वरक, खाद जैसे सामग्रियों के उपयोग पर होने वाले व्यय, सिंचाई शुल्क, औजारों और कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेटों के संचालन के लिए डीजल/बिजली आदि, विविध खर्च और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य। इसके अलावा, एमएसपी की गणना के लिए प्रयुक्त लागत फॉर्मूला सभी 22 अधिदेशित फसलों और राज्यों के लिए समान है।

प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भारित औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। इस सिफारिश को साकार करने के लिए सरकार ने अपने 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने की घोषणा पूर्व-निर्धारित सिद्धांत के रूप में की थी। तदनुसार, सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी भारित औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक निर्धारित की गई है।

खरीद के आंकड़ों और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि से स्पष्ट है कि बढ़ी हुई एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हुआ है। वर्ष 2024-25 के दौरान की गई खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि का विवरण निम्नानुसार है:

कुल खरीद (एलएमटी में)	**कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)**
1,175	3.33

****